

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(31)2024 / आश्रित / प्रमुवसं-05007 / 789

दिनांक : 14/06/2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार 3 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक, 2 अभ्यर्थियों को वनरक्षक एवं 4 अभ्यर्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कुल 9 अभ्यर्थियों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति का अनुमोदन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/वनरक्षक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि को पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है, इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा)।
3. मृतक की अविवाहित पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के क्रम में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करें।
4. आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ-पत्र प्राप्त करें।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने के संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति संगाप्त की जा सकती है।
6. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ--7(1)कार्मिक(क-2)(95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
8. नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जावेंगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

RajKaj Ref
8031198

IA
आश्रित
R.O-II
14/6/24

pls upload
2024
14/6

10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जायेगा।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (2) गार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानान्तरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे।
16. कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 5 (51)डीओपी/ए-11/88 पार्ट जयपुर दिनांक 08.04.2015 के द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के नियम 5 में संशोधन अनुसार मृतक आश्रित से ड्यूटी जोईनिंग के समय मृतक कर्मचारी पत्नी एवं उसका कोई एक पुत्र अविवाहित पुत्री/ दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य-सरकार अथवा केन्द्र या राज्य-सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्वतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र (ड्यूटी जाईनिंग दिनांक तक मृतक अश्रित परिवार का कोई सदस्य केन्द्र या राज्य-सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्वतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देय नहीं है) लेकर कार्मिक विभाग के उक्त संशोधन आदेश की पालना संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लेवे।
17. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5 (51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2 (ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
18. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
19. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान/मधपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा-पत्र तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम आदि में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

29. मृतक आश्रितों के पदस्थापन कार्यालय के संबंधित अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित आयु एवं शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच/परीक्षण कर नियुक्ति की प्रक्रिया की अन्य पूर्तियों पूरी करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर ड्यूटी पर लिया जावे तथा वर्णित दस्तावेजों की आप द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ कार्यग्रहण की सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायें।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं जन्म तिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित एवं आवंटित पद	मृतक का नाम व पदनाम	आवंटित कार्यालय का नाम
1	विनिता बजाड़िया 06.01.1995	पुत्री	29.12.2023 कनिष्ठ सहायक	नवीन कुमार, वनरक्षक	उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज-I, छत्तरगढ़
2	जितेन्द्र कुशवाह 07.07.1994	पुत्र	07.02.2024 कनिष्ठ सहायक	रामनारायण कुशवाह, तकनीशियन-III	उप वन संरक्षक, बांरा
3	अरहम खान 14.07.2001	पुत्र	14.06.2023 कनिष्ठ सहायक	अकरम अली, वाहन चालक	मुख्य वन संरक्षक, कोटा
4	विष्णु नेकाड़ी 04.07.1999	पुत्र	01.06.2023 वनरक्षक	सुगरा, वृक्षपालक	उप वन संरक्षक, धौलपुर
5	रविन्द्र कुमार मीणा 26.01.1994	पुत्र	08.04.2022 वनरक्षक	गंगासहाय, वनपाल	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
6	मुकेश कुमार गुर्जर 10.09.1994	पुत्र	03.11.2022 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	बालू सिंह, खलासी	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4948 दिनांक 27.09.2023 द्वारा वनरक्षक के पद पर कार्यालय, उप वन संरक्षक, वन्यजीवी, बीकानेर में किए गए आवंटन को निरस्त करते हुए कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आवंटन।
7	अजीत काठत 05.03.1991	पुत्र	27.01.2022 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जलाल मोहम्मद, सहायक वनपाल	उप वन संरक्षक, उदयपुर
8	जसवंत सिंह चौहान 15.02.2004	पुत्र	05.03.2024 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रेमसिंह, चौकीदार	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही
9	कमलेश बाई 01.01.1988	पत्नी	27.07.2023 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	ऐलम सिंह, सहायक वनपाल	उप वन संरक्षक, बांरा

संलग्न : उपरोक्त आश्रितों के मूल प्रकरण आवंटित कार्यालयों को।

RajKaj Ref
8031198

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(31)2024/आश्रित/प्रगुवरां-05007/ 790-824

दिनांक : 14/06/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर/वन्यजीव, जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर / जोधपुर
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, गुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा/रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर
4. उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज-I, छत्तरगढ़/बारां/वन्यजीव, बीकानेर/वन्यजीव, कोटा/ वन्यजीव, राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल, अभ्यारण्य धौलपुर/जयपुर/उदयपुर/ विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर/पाली/ झालावाड़/ धौलपुर/वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोंही
5. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
6. प्रभारी गोपनीय/प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेथ/
7. श्री जितेन्द्र कुशवाह पुत्र स्व. श्री रामनारायण कुशवाह, निवासी पंजाब कॉलोनी के पूर्व के मकान सालपुरा रोड़, वार्ड न-01, छीपावड़ौद, जिला बारां, राजस्थान।
8. श्री अरहम खान पुत्र स्व. श्री अकरम अली निवासी मकान न-8-बी-15, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा, राजस्थान।
9. सुश्री विनिता बजारिया पुत्री स्व. श्री नवीन कुमार निवासी आर.सी.पी. कॉलोनी वार्ड न-5, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर, राजस्थान।
10. श्री विष्णु नेकाड़ी पुत्र स्व. श्री सुगरा निवासी गुर्जर, मोहल्ला, कॉलोनी वाटरबॉक्स के सामने, धौलपुर, राजस्थान।
11. श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री गंगासहाय निवासी गढ़ तुंगा, तहसील बरसी जिला जयपुर, राजस्थान।
12. श्री अजीत काठत पुत्र स्व. श्री जलाल मोहम्मद निवासी गाँव पोस्ट चोंग रामगढ़ तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान-306102।
13. श्री जसवंत सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री प्रेमसिंह निवासी गांव पोस्ट सैन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली, राजस्थान।
14. श्रीमती कमलेश बाई पत्नी स्व. श्री एलम सिंह निवासी बोरखेडी तहसील बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान।
15. श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र स्व. श्री बालू सिंह निवासी ग्राम नूआ, तहसील मण्डावा, जिला झुंझनू, राजस्थान।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
8031198

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :13-06-2024 05:23:49